राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 915/2012/पाली

मैसर्स लामुको स्टील्स,
सुमेरपुर अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त
प्रतिकरापवंचन, आबूरोड प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित
श्री वी.के.पारीक
अभिभाषक अपलार्थी की ओर से
श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 14.03.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उपायुक्त(अपील्स)द्वितीय वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 06/आरवैट/10–11/सुमेरपुर राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 82 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 02.02.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षप्ति तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 23.01.2010 को सहायक वाणिणिज्यि कर अधिकारी, घट–प्रथम,वृत–ई, आबूरोड द्वारा किया गया। सर्वेक्षण के दौरान व्यवसाय स्थल पर पाए गए सामान का सत्यापन लेखा पुस्तकों से किये जाने पर माल आयरल स्टील 47555.5 किलोग्राम लेखा पुस्तकों में घोषित माल से कम पाया गया। अतः पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब पर विचार करने के पश्चात माल की कीमत रू. 1702435/– पर 4 प्रतिशत की दर से कर रू. 68,097/– धारा 61(1)(बी) के अन्तर्गत कर की दुगुनी शास्ति रू. 1,36,195/– आरोपित करते हुए कुल रू 2,04,292/–की मांग सृजित की। उक्त आदेश को अधिनियम की धारा 33(1) के अन्तर्गत दिनांक 10.08.2010 के द्वारा संशोधित किया जाकर माल की बिक्री रू. 17,02,435/–के स्थान पर रू. 15,21,676/– मानकर 4 प्रतिशत की दर से कर एवं कर की दुगुनी शास्ति आरोपित करते हुए कुल रू. 1,82,613/–की मांग सृजितकर आदेश दिनांक 10.08.2010 पारित किया। उक्त आदेश क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने माल कीमत को सही नहीं मानकर माल का मूल्यांकन पुनः कर नए सिरे से आदेश पारित करने हेतु प्रकरण

कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है, जिससे असन्तुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवसाय स्थल सर्वेक्षण सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना किया गया है। उनका यह भी कथन है कि भैतिक सत्यापन के समय भौतिक रूप से माल का तौल नहीं कराया गया है और माल का वजन अन्दाज से नहीं लिया गया हैं। उनका कथन है कि स्टील पतरों का गेज अंकित नहीं किया गया है और आईटम नम्बर 12 में माल का अंकन नहीं किया गया है। उनका कथन है कि एक समान दर से ही समस्त माल को 32/–प्रति किलो की दर से कीमत मूल्यांकित की गई है, जो उचित नहीं है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए पुनः मूल्यांकन करने के पश्चात नए सिरे से आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है,जो अनुचित है। उन्होंन उक्त कथन के आधार पर कर निर्धारण अधिकरी एंव अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड से ज्ञात होता है कि भौतिक सत्यापन पर लेखा पुस्तकों में अंकित माल से 47555.5 किलोग्राम माल कम पाया गया है किन्तु पाये गये माल की कीमत 32/–रू प्रति किलो के हिसाब आंकी है, जो उचित प्रतीत नही होने से अपीलीय अधिकारी ने माल का मूल्यांकन पुनः करके नए सिरे से आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है,जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है क्योंकि इससे व्यवहारी को कोई हानि होती है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी को पुनः नए सिरे आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया। प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने के पश्चात कर बोर्ड स्तर पर कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

अतः प्रतिप्रेषण के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करें।

निर्णय सुनाया गया ।

(श्री मदन लाल मालवीय)
सदस्य